Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:33:51 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी श्री करतार सिंह पूनीयॉ आर.ए.एस

अपील सं0 2020/00041 (41/2020)

प्रिंस नाबालिग पुत्र जितेन्द्र जरिये माता शर्मिला पत्नी जितेन्द्र जाति जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ। —अपीलान्ट

बनाम

1. धर्मसिंह उर्फ धरमसिंह पुत्र इन्द्राज कौम जाट निवासी दीपलाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. उप पंजीयक रामगढ/खुईया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. राजस्थान राजय जरिये तहसीलदार, नोहर। – रेस्पोडैन्ट

अपील विरूद्व निर्णय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ दिनांक 12.03.2020 प्रकरण संख्या 124/2019 बअनवानी प्रिंस बनाम धर्मसिंह आदि

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट 1
श्री राजेश कौशिक राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1 व 2

निर्णय दिनांक – 26.07.21

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिसमें कथन किया कि सायल की दादालाई एवं दालाई भूमि की आये से अर्जित पैतृक कृषि भूमि रोही मौजा 22 डी.पी.एन. तहसील नोहर जमाबन्दी संवत 2071–2074 खाता संख्या 62/56 की 9.1080 है0 में से 1/6 हिस्सा यानी 1.518 है0 भूमि खाता संख्या 17/17 के कुल 1.5180 है0 में से 1/12 हिस्सा यानी 0.126 है0 व रोही मोजा चक 7 आरएनजी के खाता सं0 19/12 की कुल 9.3730 है0 में से 1/24 हिस्सा यानी 0.39054 है0 रोही मौजा दीपलाना बरानी में खाता संख्या 9/9 की कुल 8.6650 है0 में 1/48 हिस्सा यानि 0.18052 है0 व रोही मौजा 23 डीपीएन के खाता संख्या 64/65 की कुल 3.9480 है0 में से 1/6 हिस्सा यानी 0.658 है0 तथा रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 74/66 की कुल 9.7410 है0 भूमि गैरसायल नं0 1 क नाम से बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 5 ने अपना हक सायल व प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 क हक में त्याग कर दिया है।.गैरसायल नं0 1 संयुक्त भूमि का नाजायज फायदा उठाकर इस भूमि को बेचान करने पर उतारू है यदि वह अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः गैरसायल नं0 1 के`नाम दर्ज आराजी को रहन बैय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल नही करने हेतु उसके विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। गैर सायल ने जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया कि प्रतिवादी संख्या 4 सायल का पिता है विवादित भूमि में सायल का कोई हक हिस्सा नही बनता है अभी हिस्सा तय नही हुआ है। जब तक उसका हक हिस्सा तय नहीं हो जाता है वह किसी पकार का स्थगन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना–पत्र खारिज करने का कथन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:33:51 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना–पत्र एवं जवाब प्रार्थना–पत्र के तथ्यों के आधार पर प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि प्रश्गनत भूमि पैतृक कृषि भूमि है जिसमें उसका जन्मजात हक हिस्सा है। अपने हक हिस्सा की घोषणा करवाकर वह राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है। प्रतिवादीया संख्या 5 अपना हक हिस्सा का त्याग कर चुकी है। इस प्रकार उक्त भूमि में प्रतिवादीया संख्या 5 का कोई हक हिस्सा नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 बिना जायज जरूरत उक्त मुश्तर्का खाता की भूमि को रहन बैय करने की योजना बना रहा है। प्रश्नगत भूमि के पैतृक सम्पति होने के दस्तावेज पेश किये थे। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि विरूद्ध तरीके से अपीलाधीन आदेश पारित किया है। प्रश्नगत भूमि पैतृक भूमि की आय से अजिर्त भूमि है। जो रेस्पो0 सं0 1 ने अपने नाम दर्ज करवाई है। जिसमें अपीलाण्ट का जन्म से हक हिस्सा बनता है। प्रकरण में पक्षकारों के मध्य वाद की बहुलता ना हो इस दृष्टिकोण से भी स्थगन आदेश जारी करना चाहिए था जो नहीं किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि सम्मत नहीं है जो खारिज किया जावे एवं स्थगन आदेश जारी किया जावे। विद्वान अधिवक्त ने अपने कथनों के समर्थन में 1993 आरआरडी पेज 206, 2017 आरआरटी पेज 491, 2002 आरआरडी पेज 744 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि अपीलाण्ट किसी श्रेणी का टिनेन्ट नही है दावा में प्रतिवादी संख्या 4 सायल का पिता है विवादित भूम में कितना हक हिस्सा बनता है अभी तय नहीं हुआ है। अपीलाण्ट का दादा धर्मसिंह है प्रश्नगत भूमि उसकी स्वयं की खरीदशुदा भूमि है। धर्मसिंह मौजूद है और उसके जीवनकाल में अपीलाण्ट किसी प्रकार की घोषणा करवाने का अधिकारी नहीं है। प्रिंस जितेन्द्र का लड़का है जिसके हिस्सा में 3–1/2 हिस्सा भूमि आती है जबकि 3 बीघा प्रिंस के नाम पहले से ही है, जिसकी जमाबन्दी संलग्न है। गैर सायल नं0 1 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है और रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को स्थगन आदेश के द्वारा पाबंद नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी ने केवल लालचवश सायल की माता एवं प्रतिवादी संख्या 4 के पिता की आपसी नाराजगी होने की वहज से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जो विधि सम्मत है। अपील अपीलाण्ट खारिज किया जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायालय में घोषणा का वाद विचाराधीन है जिसके साथ धारा 212 राजसथान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना–पत्र अपीलाण्ट ने पेश किया जिसमें अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट सं0 1 के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने अनुतोष मांगा था। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट का प्रार्थना–पत्र रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी करना न्यायोचित नही मानते हुए खारिज किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में घोषणा का वाद विचाराधीन है जिमसें हक अधिकारों की घोषणा होनी है। जब पारिवारिक सदस्यों के मध्य विवाद हो तो रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध भी अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जानी चाहिए, जिससे कि उभयपक्षों के हक अधिकार एवं विवादग्रस्त भूमि सुरक्षित रहे। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 1993 आरआरडी पेज 206 में यह अभिमत दिया गया है कि पारिवारिक सदस्यों के मध्य विवाद हो तो रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा जानी चाहिए। इस प्रकरण में पारिवारिक

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सदस्यों के मध्य [illegible] एवं अधिकारी का निर्धारण मूल वाद में तय किया जाना है। ऐसी स्थिति [illegible] अवलौक में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है एवं अधीनस्थ [illegible] का अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य है एवं अपीलाण्ट/प्रार्थी की राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.03.2020 निरस्त किया जाता है एवं अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि वादग्रस्त भूमि को ताफैसला वाद रहन, बैय व मुन्तकिल नहीं करें एवं मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

8. निर्णय आज दिनांक 26.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

26/7/21

(करतारसिंह पूनीयाँ)
आर.ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:33:51 IST
Reason: SelfAttested